भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3117
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

रोजगार परिदृश्य

3117. श्री रामचरण बोहराः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार देश में रोजगार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई सर्व-समावेशी राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने पर कार्य कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और
(ङ) सरकार द्वारा देश में तत्काल आधार पर रोजगार परिदृश्य के आकलन एवं निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वार्षिक पीएलएफएस परिणामों के अनुसार, देश में 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी की दर क्रमशः 6.0% एवं **5.8%** थी।

(ग से ङ): सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, समामेलन एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 अधिसूचित की हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रदान करेगा। यह कामगारों एवं उद्योग की आवश्यकताओं को भी सुसंगत बनाएगा तथा कामगारों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है इसमें एक डिजिटल पोर्टल भी है जो गतिशील ढंग से रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। एनसीएस पर सभी सेवाएं लागत-मुक्त हैं।

देश में रोजगार-बेरोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। यह एक वृहद गृहस्थ सर्वेक्षण है जो भारत में श्रम बल पर सांख्यिकी उपलब्ध करा रहा है। पीएलएफएस सर्वेक्षणों की रिपोर्टें सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट, www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करना शामिल है।

*****